उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–96 / 2023

नागेन्द्र सिंह वगै० बनाम् हरिचरण करमाली

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
03/12/24	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी 1. नागेन्द्र सिंह, 2. अजय कुमार सिंह, 3. चन्द्रशेखर सिंह तीनों पिता–स्व० केदार सिंह, 4. राणा प्रताप सिंह, 5. रंजीत सिंह, 6. मदन सिंह तीनों पिता–स्व० कौलेश्वर सिंह, 7. विकास सिंह, पिता–स्व० संजय सिंह सभी निवास ग्राम–कुरसे, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–84 / 2019–20 / 148 / 2020–21 हरिचरण करमाली बनाम केदार सिंह वगै० में दिनांक–01.08.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S– 215 C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–कुरसे, थाना–पतरातू के खाता नं०–41 प्लॉट सं०–295, 292, 304, 515, 420, 425 कुल रकवा–0.35 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह अपील का आवेदन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ के द्वारा भू–वापसी वाद सख्या–84 / 2019–2020, 148 / 2020–2021 में दिनांक–01.08.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर कर रहें है। प्रश्नगत भूमि ग्राम–कुरसे हल्का न0–05, थाना नम्बर–47, थाना–पतरातु का खाता नम्बर–41, प्लॉट नं0–295, 292, 304, 515, 420, 425, कुल रकवा–0.35 डी0 से संबंधित है। ग्राम–कुरसे का खाता न0–41 का खतियान महादेव करमाली के नाम से बना है। महादेव करमाली का पोता जगवा करमाली पिता–जिबु करमाली निबंधन इस्तफानामा संख्या–1568, दिनांक–28.03.1946 के द्वारा ग्राम–कुरसे के खाता नं0–41, का प्लॉट नं०–252 रकवा–13 डी0 प्लॉट नं०–295 रकवा–3½ डी०, प्लॉट नं०–304 रकवा–06 डी० प्लॉट नं०–515 रकवा–04 डी०, प्लॉट नं०–420, रकवा–04 डी०, प्लॉट नं०–425 रकवा–05 डी० प्लॉट नं०–439 रकवा–05 डी० प्लॉट नं०–635 रकवा–03 डी० प्लॉट नं०–637 रकवा–09 डी० प्लॉट नं०–664 रकवा–07 डी०, प्लॉट नं०–728, रकवा–07 डी० प्लॉट नं०–733, रकवा–35½ डी० प्लॉट नं०–738 रकवा–23 डी0 प्लॉट नं०–753 रकवा–11½ डी० प्लॉट नं०–801 रकवा–05 डी० प्लॉट नं०–855, रकवा–8½ डी०, प्लॉट नं०–880, रकवा–8½ डी०, प्लॉट नं०–887, रकवा–19½ डी० प्लॉट नं०–889	

रकवा–17½ डी० प्लॉट नं०–896 रकवा–15 डी० प्लॉट नं०–959 रकवा–10 डी० प्लॉट नं०–969 रकवा–02 डी०, प्लॉट नं०–643/995 रकवा–6½ डी० प्लॉट नं०–643/996 रकवा–01 डी० कुल रकवा–2.31 एकड़ भूमि ग्राम के जमीन्दार ईश्वर दयाल राणा वगैरह को ईस्तफा कर दिया। भूमि को ईस्तफा में प्राप्त करने के पश्चात् जमीन्दार ग्राम–कुरसे के खाता नं०–41, प्लॉट नं०–250 वगैरह कुल रकवा–2.31 एकड़ भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में आये वो कृषि कार्य कर के दखलकार हुए। जमीन्दार द्वारा उचित सलामी 25 रूपया लेकर तथा सलाना मालगुजारी एक रूपया एक आना अलावे शेष निर्धारित कर ग्राम–कुरसे के खाता नम्बर–41, प्लॉट नं०–252 वगैरह का कुल रकवा–2.31 एकड भूमि मो० धुजिया पति–सोना राम साही (अपीलार्थीगण की दादी) के नाम से हुकुमनामा के माध्यम से 1946 में बन्दोबस्ती कर दिया तथा दखल कब्जा दे कर दखलकार माना। भूमि बन्दोबस्ती में प्राप्त करने के पश्चात् मो० धुजिया निबंधित कबुलियतनामा संख्या–4369 दिनांक–19.12.1946 के द्वारा जमीन्दार ईश्वर दयाल राणा के द्वारा ग्राम–कुरसे के खाता नं०–41, रकवा–2.31 एकड़ भूमि के बन्दोबस्ती को कबुल किया। भूमि बन्दोबस्ती में प्राप्त करने के पश्चात् मो० धुजिया भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में रहते हुए जोत अबाद कर कृषि कार्य किया। मो० धुजिया के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्रगण रकवा–2.31 एकड़ भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में आये वो जोत अबाद कर कृषि कार्य किया। वर्तमान समय में रकवा–2.31 एकड़ समेत सम्पूर्ण प्रश्नगत भूमि रकवा–0.35 डी० पर अपीलार्थीगण एवं इनके अन्य हिस्सेदार दखलकार है।

जमीन्दारी राज्य में Vest करने के पश्चात् जमीन्दार द्वारा ग्राम–कुरसे का मुआवजा प्राप्त करने के लिए सरकार के कार्यालय में दिनांक–10.08.1960 को रिटर्न दायर किया गया। इस रिटर्न के क्रमांक–10 में रकवा–2.31 एकड़ भूमि मो० धुजिया के कब्जा में दर्शाया गया है। मो० धुजिया के पुत्र केदारनाथ सिंह एवं कौलेश्वर सिंह ग्राम–कुरसे के रकवा–2.31 एकड़ भूमि का मो० धुजिया के नाम से चल रहे जमाबंदी का उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए आवेदन दायर किये। अंचल अधिकारी, पतरातू उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए निर्धारित सभी बिन्दुओं से संतुष्ट होने के पश्चात् केदारनाथ सिंह वगैरह के नाम से दाखिल खारिज करने का आदेश दिये। तदनुसार इनका नाम पंजी–II के पेज नं०–94/1 में दर्ज कर मालगुजारी प्राप्त कर सरकारी रसीद निर्गत किया। भू–वापसी आवेदन के लगभग 86 वर्ष पूर्व से अपीलार्थी एवं इनके पूर्वज रकवा–2.31 एकड़ भूमि समेत प्रश्नगत भूमि रकवा–0.35 डी० भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में चले आ रहें है वो आज भी है। प्रश्नगत रकवा–0.35 डी० भूमि पर अपीलार्थी के शांतिपूर्ण दखल कब्जा के रकवा–2.31 एकड़ भूमि के अन्तर्गत है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46-(4)A के प्रावधान के अनुसार आदिवासी रैयत के लिए यह आवश्यकता है कि भूमि से बेदखली के 12 वर्षों के अन्दर भू–वापसी का आवेदन दायर करें। अंचल अधिकारी, पतरातू के प्रतिवेदन के अनुसार उत्तरवादी का भू–वापसी का आवेदन दिनांक–20.03.2020 का है जो बेदखली के 86 वर्षों के पश्चात् दायर किया गया है। इसलिए प्रथम पक्ष का भू–वापसी का मुकदमा पोषनीय नहीं है, रद्द करने योग्य है। भू–वापसी वाद के द्वितीय पक्ष के सदस्य केदारनाथ सिंह का निधन

भू–वापसी के कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व दिनांक–03.11.2016 को हो गया है। द्वितीय पक्ष क्रमांक–03 कौलेश्वर सिंह का निधन दिनांक–17.02.2000 में सूचना के तामिला के पूर्व हो गया है। इस तरह से निम्न न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय दिया गया है इनके मृत्यु के पश्चात् उत्तरवादी द्वारा उनके वंशज अपीलार्थीगण को पक्षवार नहीं बनाया गया गया। अपीलार्थीगण को अंचल कार्यालय, पतरातू से दखल दिहानी का सूचना प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक–16.09.2023 को भू–वापसी के आदेश की जानकारी हुआ। अपीलार्थीगण को उपरोक्त सभी तथ्य निम्न न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अपीलार्थी को प्राप्त नही हुआ। अभिलेख में जो तामिला लगा हुआ है उसमें अपीलार्थीगण का हस्ताक्षर नहीं है। तामिला में केदार सिंह का हस्ताक्षर है जिनकी मृत्यु 2016 में हो चुका है। दूसरा हस्ताक्षर भी असत्य है। निम्न न्यायालय द्वारा अन्य माध्यम से यथा डाक से या सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित कर अपीलार्थी को सूचना का तामिला नहीं करवाया गया। जिस कारण अपीलार्थी को भू–वापसी की जानकारी नहीं हो पाई। निम्न न्यायालय द्वारा आदेश का कॉपी अंचल कार्यालय, पतरातू को भेजते हुए आदिवासी रैयत को रकवा–0.35 डी० भूमि पर दखल दिलवाने का आदेश दिये। अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा दिनांक–09.09.2023 को सूचना निर्गत कर दखल दिहानी का दिनांक–16.09.2023 को निर्धारित किये। दखल दिहानी के सूचना का तामिला होने पर अपीलार्थीगण को भू–वापसी के आदेश की जानकारी हुई। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष को जाने बिना अपीलार्थी एवं उत्तरवादी के अनुपस्थिति में दिनाक–11.08.2023 को भू–वापसी का आदेश पारित किये जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित भू–वापसी का आवेदन रद्द करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त अपील कालबाधित है तथा खारिज करने योग्य है। उक्त अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के आदेश दिनांक–31.08.2023 भू–वापसी वाद सं0–84/2019–20/148/2020–21 के विरूद्ध लाया गया है। उक्त आदेश में वाद के दौरान उभय पक्षों को नियमतः नोटिस निर्गत किया गया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा पाया गया कि द्वितीय पक्ष वर्तमान अपीलार्थी को वाद में कोई रूचि नहीं है। उक्त वाद खाता सं०–41, प्लॉट सं०–295, 292, 304, 515, 420 एवं 425 कुल रकवा–0.35 एकड़ भूमि से संबंधित है। इस वाद की सुनवाई के दौरान निम्न न्यायालय में अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया है तथा पाया है कि उक्त खाता नं0–41, प्लॉट सं०–295, 292, 304, 515, 420 एवं 425 कुल रकवा–0.35 एकड़ भूमि महादेव करमाली की खतियानी भूमि है, जो आदिवासी खाते की भूमि है। उक्त भूमि की जमाबन्दी बिगु करमाली, पिता महादेव करमाली के नाम से दर्ज है तथा रजिस्टर–II के पृष्ठ स०–92/1 में जमाबन्दी कायम है। द्वितीय पक्ष ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–1908 धारा–46-(4)A का उल्लंघन अपीलार्थी ने किया है। निम्न न्यायालय का यह आदेश

न्याय–संगत है तथा कहीं से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी अपील के दौरान नये तथ्यों को नहीं प्रस्तुत कर सकते कि खतियानी रैयत ने अपनी भूमि इस्तिफा दे दिया। चूंकि इस तथ्य को अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया अतः इस तथ्य को अपीलीय न्यायालय के समक्ष नहीं रख सकते हैं। अपीलार्थी का यह दावा निराधार है कि खतियानी रैयत ने अपनी जमीन जमीन्दार को इस्तिफा दे दिया था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये खाता नं०–41 की सम्पूर्ण भूमि जिसका रकवा–2.31 एकड़ है महादेव करमाली की खतियानी भूमि है तथा विपक्षीगण आंशिक भूमि पर दखल कब्जे मे हैं। विपक्षीगण सम्पूर्ण भूमि पाने के हकदार हैं। अपीलार्थी ने यह दावा किया है कि उनकी दादी के नाम का हुकुमनामा है। खतियानी रैयत महादेव करमाली के तीन पुत्र थे शिबु करमाली, जीबु करमाली तथा बीगु करमाली, शिबु करमाली नावल्द मर गये उसके बाद बीगु करमाली तथा जीबु करमाली उक्त भूमि पर दखलकार हुए वर्तमान में जीबु करमाली तथा बीगु करमाली के वंशज उक्त भूमि के आंशिक प्लॉटों पर दखल कब्जे में है तथा आंशिक भूमि को अपीलार्थी ने छल कपट के तहत जाली दस्तावेज तैयार कर हड़प रखा है। अपीलार्थी के अनुसार उस समय जमीन्दार इश्वर दयाल राणा वगैरह बताया गया है जो सरासर गलत है। खतियान के अनुसार भू–स्वामी का नाम हीरामन साही वगैरह दिखाया गया है। अपीलार्थी खतियानी रैयत के परिवार तथा वंशज से भलिभांति परिचित थे तथा खतियानी रैयत अपीलार्थी के यहां काम करते थे। चूंकि महादेव करमाली के तीन पुत्र थे एवं एक पुत्र शिबु करमाली नावल्द था जिसकी जानकारी इनके पूर्वजों को थी जिसका लाभ उठाकर गलत तरीके से जालसाजी करके गलत हुकुमनामा तैयार कराकर खतियानी रैयत के वंशजों की आंशिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बहाल रखने व दखल देहानी आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित इस्तफनामा पश्चात पूर्व जमींदार से सादा हुकुमनामा के आधार पर बंदोबस्ती के आधार पर प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने का दावा करते है। इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अकित किया गया है कि अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम–कुरसे थाना–पतरातू के खाता संख्या–41, प्लॉट संख्या–295, 292, 304, 515, 420, 425 कुल रकवा–0.35 ए० भूमि सर्वे खतियान में महादेव करमाली कौम करमाली के नाम से रैयती दर्ज है। पंजी–II के पृष्ठ स०–92/I पर वीगु करमाली पिता–महादेव करमाली के नाम से जमाबंदी दर्ज है। चूँकि भूमि आदिवासी खाते की है। अर्थात द्वितीय पक्ष गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये गए है।

उक्त के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा प्रश्नगत वाद को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(ए) का उल्लघंन माना गया है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कुरसे, थाना–पतरातू के खाता नं०–41 प्लॉट सं०–295, 292, 304, 515, 420, 425 कुल मध्ये रकवा–0.35 ए० भूमि रैयती व आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि जमींदार से सादा हुकुमनामा से बंदोबस्ती के आधार पर प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने का दावा करते है। विभिन्न न्यायालयों में सादा हुकुमनामा को वैध दस्तावेज नहीं माना गया है। अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–कुरसे, थाना–पतरातू के खाता नं०–41 प्लॉट सं०–295, 292, 304, 515, 420, 425 कुल रकवा–0.35 ए० भूमि सर्वे खतियान में महादेव करमाली कौम करमाली के नाम से रैयती दर्ज हैं। पंजी–II के पृ०सं०–92/I पर विगु करमाली, पिता–महादेव करमाली के नाम से जमाबंदी दर्ज है। निम्न न्यायालय द्वारा भी संबंधित पक्षकारों को सुनने के पश्चात प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण C.N.T Act की धारा–46-4(A) का उल्लघंन माना गया है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विधि–सम्मत आदेश पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। प्रभावी पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 03/12/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 03/12/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2025.01.08 17:41:25 +05:30
Location: 192.168.122.197